भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 516**

**14 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य**

**516. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 2018 में खरीफ फसलों के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि 2008-09 और 2012-13 में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लागू किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि से किसान खुश नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए सभी अधिदेशित फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में महत्‍वपूर्ण वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्‍योंकि यह 2018-19 के केन्‍द्रीय बजट द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहली बार सभी अधिदेशित फसलों के लिए उत्‍पादन लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने संबंधी किसानों के प्रति प्रतिबंद्धता को पूरा करता है। वर्ष 2008-09, 2012-13 और 2018-19 के लिए एमएसपी में पूर्ण वृद्धि का ब्‍यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्‍य की प्राप्‍ति के लिए सरकार ने अपनी नितियों को उत्‍पादन केंद्रित से आय केंद्रित बनाया है। यह एमएसपी नीति जिसके द्वारा किसानों को लाभ के मार्जिन के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत सुनिश्‍चित किया गया है, सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों के दौरान किए गए सुधारों की श्रृंखला में एक प्रगतिशील कदम है, क्‍योंकि सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और उनके कल्‍याण में महत्‍वपूर्ण सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, सरकार किसानों के लिए अधिक आय के साथ समक्रमण हेतु सुझाए गए उपायों के आधार पर विभिन्‍न योजनाओं का क्रियान्‍वयन कर रही है तथा उनमें संशोधन कर रही हैजिसमें मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी), गुणवत्‍तापूर्ण बीजों का उत्‍पादन और उपलब्‍धता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) और डेयरी, कुक्‍कुट पालन, मधुमक्‍खी पालन और मत्‍स्‍य पालन जैसे संबद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देना शामिल हैं। 2018-19 के बजट में वर्तमान 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) के रूप में विकसित करने और उसे अद्यतन करने के आशय की घोषणा की गई है। इस लक्ष्‍य की प्राप्‍ति के लिए 2,000 करोड़ की निधि के साथ एक कृषि-बाजार अवसंरचना निधि का प्रस्‍ताव किया गया है। ये जीआरएएमएस इलेक्‍ट्रानिक रूप से ई-एनएएम से जुडे़ होंगे और उन्‍हें कृषि उत्‍पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के विनियमों से छूट प्राप्‍त होगी और ये किसानों के लिए उपभोक्‍ताओं तथा थोक खरीददारों को प्रत्‍यक्ष बिक्री की सुविधा उपलब्‍ध कराएंगे। हाल ही में शुरू की गई व्‍यापक योजना ‘‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण योजना’’ (पीएम-आशा) में कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए उत्‍पादकों/किसानों को एक लाभकारी और स्‍थिर मूल्‍य स्‍थिति का आश्‍वासन देने के लिए एक व्‍यापक व्‍यवस्‍था का प्रावधान है। इस समग्र योजना में दलहन और तिलहन के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और किसानों को एमएसपी सुनिश्‍चित करने के लिए तिलहन के लिए प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद और भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल है।

**अनुबंध**

**दिनांक 14.12.2018 को उत्‍तर के लिए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 516 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध**

न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में पूर्ण वृद्धि (एमएसपी)

 (रू./कविंटल)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **जिन्‍स** | **किस्‍म** | **2008-09** | **2012-13** | **2018-19** |
|   | **खरीफ फसलें** |   |   |   |   |
| 1 | धान | सामान्‍य | 155 | 170 | 200 |
|   |   | ग्रेड 'ए' | 155 | 170 | 180 |
| 2 | ज्‍वार | हाईब्रिड | 240 | 520 | 730 |
|   |   | मालदांडी | 240 | 520 | 725 |
| 3 | बाजरा |  | 240 | 195 | 525 |
| 4 | मक्‍का |  | 220 | 195 | 275 |
| 5 | रागी |  | 315 | 450 | 997 |
| 6 | अरहर(तूर) |   | 410 | 650 | 225 |
| 7 | मूंग |   | 780 | 900 | 1400 |
| 8 | उड़द |   | 780 | 1000 | 200 |
| 9 | कपास | मध्‍यम रेशें | 700 | 800 | 1130 |
|   |   | लंबे रेशें | 970 | 600 | 1130 |
| 10 | मूंगफली छिलका सहित |   | 550 | 1000 | 440 |
| 11 | सूरजमुखी बीज |   | 705 | 900 | 1288 |
| 12 | सोयाबीन |  | 340 | 550 | 349 |
| 13 | तिल |   | 1170 | 800 | 949 |
| 14 | रामतिल |   | 1165 | 600 | 1827 |

\*\*\*\*\*